तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.109/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
10.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी नारायण रावल पुत्र मगनलाल रावल, जाति– रावल, निवासी– पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, हाल– सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित। आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरोही द्वारा दिनांक 13.1.2023 को दौराने गश्त प्रतिवादी विक्रेता नारायण रालव पुत्र श्री मगनलाल रावल, जाति– रावल, निवासी– पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, हाल–सानवाडा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ भैस का दूध का नमूना संख्या S-1975, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./77/Act/2023/120 दिनांक 25.1.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 07.10.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में गलत व मिथ्या कथन अंकित कर यह प्रकरण प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी भैस के दूध को बेचने का कारोबार नही करता है व न ही डेयरी चलाता है। प्रतिवादी नारायणलाल, जो कि हनुमानजी मन्दिर, वीरवाडा में पुजारी है व पूजा पाठ कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। दिनांक 13.1.2023 को हनुमान मन्दिर, वीरवाडा में फरवरी माह में होने वाले मेले को लेकर मेले से पहले बैठक रखी हुई थी उस दिन प्रतिवादी नारायणलाल ग्राम तेलपुर में रुपाराम देवासी के यहां से दूध खरीदकर बैठक में आये लोगों के खाना बनाने व चाय पानी की व्यवस्था के लिये पुजारी की हैसियत से दूध लेकर मन्दिर जा रहा था, जो आम जन के विक्रय हेतु नही था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी अभियुक्त की उपस्थिति में व मौके पर सम्पादित नही की है। नमूना लेने की कार्यवाही में प्रतिवादी ने हस्ताक्षर बतौर मालिक नही किये गये है तथा स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर नही है तथा न ही प्रतिवादी को उक्त नमूनें की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच कराने की कोई जानकारी या सूचना दी गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बनावटी व मिथ्या कथन अंकित कर प्रतिवादी के विरुद्ध यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तो यह .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.109/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 13.1.2023 को समय 6.30 ए.एम. पर पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा गये। वहां पर वाहन संख्या RJ 24 P 1957 टैक्सी में प्रतिवादी नारायण रावल उपस्थित मिले, जिसके पास उक्त टैक्सी वाहन में आम जन के बिक्री हेतु दो कंटेनरों में लगभग 30 लीटर भैस का दूध रख हुआ था। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जन को विक्रय हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ भैस का दूध में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल को गवाह श्री हितेन्द्र सिंह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त टैक्सी वाहन में कंटेनर में रखे हुए भैस के दूध को हिला मिलाकर एक रुप किया एवं उसमें से दो लीटर भैस के दूध को एक बर्तन में प्रतिवादी नारायण रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 130/– (अक्षरे रुपये एक सौ तीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल पुत्र श्री मगनलाल रावल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दूध को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल व गवाह के समक्ष बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1975, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ भैंस का दूध आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1975 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल व गवाह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफा में अलग बन्द कर गोंद से

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.109/2023	नम्बर व तारिख हुक्काम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 13.1.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 13.1.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी नारायण रावल से खाद्य पदार्थ भैंस का दूध को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ भैंस का दूध के नमूना संख्या S-1975 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./77/Act/2023/120 दिनांक 25.1.2023 में खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी नारायण रावल पुत्र श्री मगनलाल रावल ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ भैंस का दूध के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता नारायण रावल पुत्र श्री मगनलाल रावल, निवासी– पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी नारायण रावल को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.11.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested